विवरणिका

सत्र : 2024–25

डॉ. मंजू यादव

प्राचार्य एवं संरक्षक

सम्पादक

डॉ. शैफाली बार्थोनिया

डॉ. लता शर्मा

डॉ. मंजू शर्मा

गौरी देवी राजकीय महिला महाविद्यालय, अलवर (राज.)

www.dce.rajasthan.gov.in

Email :- principalgauridevi@gmail.com

प्राचार्य संदेश

प्रिय छात्राओं,

गौरी देवी राजकीय महिला महाविद्यालय, अलवर में आप सब का स्वागत है। 60 वर्षों की स्वर्णिम अवधि लांघकर यह महाविद्यालय 61 वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। यह आपके लिए भी अत्यन्त गर्व का अवसर है कि आप सब इस गौरवमयी महाविद्यालय परिवार का हिस्सा बनने जा रही है।

ज्ञान के विभिन्न आयामों के विकास के साथ–साथ साहित्य, संस्कृति व समाज के विकास में भी इस महाविद्यालय का एक गौरवमयी इतिहास रहा है। यहाँ से शिक्षा और संस्कार प्राप्त करने के बाद यहाँ की छात्राओं ने विविध क्षेत्रों में अपनी उपलब्धियों का परचम फहराया है। रोजगार प्राप्ति के साथ–साथ एक बेहतर और जिम्मेदार नागरिक के रूप में स्वयं को साबित करके इन छात्राओं ने महाविद्यालय को तो गौरवान्वित किया ही है, अन्य छात्राओं के लिए भी प्रेरणास्रोत का काम किया है। इस महाविद्यालय के बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी निष्णात शिक्षकों द्वारा छात्राओं को केवल पुस्तकीय ज्ञान तक ही सीमित न रख कर उन्हें ज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों तक ले जाने का प्रयास किया जाता है ताकि उनकी चेतना को व्यापक युगीन जीवन बोध से संचालित होने का अवसर मिल सके और सभी छात्राएँ अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें।

विगत वर्षों में हमने वैश्विक महामारी कोरोना के भयावह समय को देखा है, जिसने हमें प्रचलित जीवन शैली की खामियों पर और हमारी प्राथमिकताओं के परिवर्तन पर पुनः विचार करने के लिए झकझोरा है। इस अनुभव ने हमें सिखाया है कि हमें अधिकाधिक पौधारोपण एवं पर्यावरण–संरक्षण को प्राथमिकता देनी होगी और साथ ही अपनी जीवन शैली को सकारात्मक सोच के साथ प्रकृति के अनुकूल बनाते हुए शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाना होगा। महाविद्यालय इस सोच के साथ छात्राओं को आगे बढ़ाना चाहता है। सत्र 2023–24 से महाविद्यालय में नई शिक्षा नीति के अधीन सैमेस्टर प्रणाली को लागू किया गया है, सत्र 2023–24 में स्नातक प्रथम वर्ष में सैमेस्टर प्रणाली लागू हुई। करेंगी। इस सत्र में यह स्नातक

द्वितीय वर्ष में तथा सत्र 2025–26 में स्नातक तृतीय वर्ष में लागू हो जाएगी। इसके तहत छात्राओं के लिए ऐच्छिक विषय के साथ सामान्य ज्ञान एवं कौशल अभिवृद्धि पाठ्यक्रम भी अध्ययनार्थ लगाए गए है, जो विद्यार्थियों के सर्वाङ्गीण विकास को ध्यान में रखकर समाहित किए गए है।

मूल्यांकन एवं राष्ट्रीय प्रत्यायन समिति (NAAC) द्वारा सत्र 2022–23 में महाविद्यालय का निरीक्षण किया गया और इस महाविद्यालय को ग्रेड 'बी' प्राप्त हुई। यह प्रक्रिया निरन्तर जारी है। आपके लिए यह भी गर्व का विषय है कि आप महिला शिक्षा के क्षेत्र में राज्य के अग्रणी और जिले के एक मात्र स्नातकोत्तर महिला महाविद्यालय का अहम हिस्सा बनने जा रही हैं। अतः आपका कर्त्तव्य दोहरा हो जाता है। एक तो आपको इस महाविद्यालय की अक्षुण्ण और गौरवमयी परम्पराओं को उत्तरोतर विकसित करना है और दूसरा आपको अपने उज्ज्वल भविष्य के निर्माण के लिए भी प्रतिबद्ध होना है। हमारा महाविद्यालय परिवार आपके सपनों को साकार करने के आपके प्रयत्नों को सदैव दिशा–निर्देशित करता रहेगा। आपसे भी यह अपेक्षा है कि आप सब अपने अनुशासन, आत्मविश्वास, संकल्प–शक्ति, परिश्रम और मेधा से महाविद्यालय की गौरवमयी परम्पराओं में अभिवृद्धि करेंगीं।

शुभाकांक्षी

डॉ. मंजू यादव

गौरी देवी राजकीय महिला महाविद्यालय,

अलवर (राज.)

महाविद्यालय–एक परिचय

महिला शिक्षा की महत्ता को ध्यान में रखते हुए एक स्वतंत्र महिला शिक्षण संस्थान की आधारशिला नगर सेठ श्री रामरिछपाल जी ने अपनी माता श्रीमती गौरी देवी की पुण्य स्मृति में रखी, जिसका उद्घाटन 22 मार्च 1964 को राज्य के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री मोहन लाल सुखाडिया़ के कर कमलों द्वारा सम्पन्न हुआ और आज यह महाविद्यालय महिला शिक्षा के क्षेत्र में राज्य का अग्रणी एवं जिले का एक मात्र स्नातकोत्तर महिला महाविद्यालय होने का गौरव प्राप्त कर चुका है। सत्र 1964–65 में कला संकाय की स्नातक कक्षाऐं मात्र 135 छात्राओं के लघु स्वरूप से प्रारम्भ होकर आज यह महाविद्यालय बहुसंकायी स्नातकोत्तर महाविद्यालय का स्वरूप प्राप्त कर चुका है।

वर्ष 1965 में विज्ञान संकाय, वर्ष 1974 में सादर स्नातक (राजनीति विज्ञान) एवं वर्ष 1980 में वाणिज्य संकाय की स्नातक स्तरीय कक्षाओं के प्रारम्भ के साथ ही इस महाविद्यालय ने बहुसंकायी स्वरूप प्राप्त कर लिया। इसमें नया आयाम तब जुड़ गया, जब राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1992 में इसे क्रमोन्नत करते हुए स्नातकोत्तर महाविद्यालय घोषित किया गया एवं राजनीति विज्ञान तथा मनोविज्ञान विषय में स्नातकोत्तर कक्षाओं का अध्यापन प्रारम्भ हुआ, जिसमें वृद्धि करते हुए वर्ष 1995 में हिन्दी एवं वर्ष 1999 में संस्कृत विषय में भी स्नातकोत्तर कक्षाएँ आरम्भ की गई। सन् 2009–10 से भूगोल विषय का आरम्भ भी इस महाविद्यालय में हो चुका है। महाविद्यालय में पुस्तकालय विज्ञान में डिप्लोमा पाठ्यक्रम के अध्ययन की भी व्यवस्था है, जो कि सम्पूर्ण राजस्थान में कुछ स्थानों पर ही उपलब्ध है। राजस्थान विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त कर आरम्भ हुआ यह महाविद्यालय अब (14 अक्टूबर 2012 से) मत्स्य क्षेत्र में स्थापित नवीन विश्वविद्यालय राजर्षि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर (राजस्थान) से सम्बद्ध हो गया है।

छात्राओं के सर्वांगीण विकास हेतु शैक्षिक गतिविधियों के अतिरिक्त महाविद्यालय में खेल–कूद, एन.सी.सी., राष्ट्रीय सेवा योजना, सांस्कृतिक गतिविधियाँ, युवा विकास केन्द्र, सह शैक्षणिक गतिविधियों, योजना मंच, महिला अध्ययन केन्द्र, स्काउट एवं रेंजर, मानवाधिकार

क्लब, छात्रा परिषद् जैसी पाठ्येतर गतिविधियों का संचालन पूर्ण उत्साह के साथ किया जाता है। उल्लेखनीय है कि विगत वर्षो में महाविद्यालय की छात्राओं ने इन गतिविधियों के माध्यम से राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति अर्जित की है। यही नहीं, छात्राओं ने यहाँ से शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात् विभिन्न संस्थानों में उच्च एवं प्रतिष्ठित पद प्राप्त कर महाविद्यालय को गौरवांवित किया है। गत सत्र में लगभग 5500 छात्राओं ने इस महाविद्यालय में अध्ययन किया है। राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त विभिन्न सुविधाओं का लाभ छात्राओं को दिया जाता है। जिले का एकमात्र स्नातकोत्तर महिला महाविद्यालय होने के कारण छात्राओं की समस्याओं का समाधान सहानुभूति पूर्वक किया जाता है। प्रवासी छात्राओं की समस्या को ध्यान में रखते हुए 1993 से महाविद्यालय द्वारा महाविद्यालय परिसर में ही एक सुसज्जित छात्रावास की सुविधा भी उपलब्ध करवाई गई है।

यह महाविद्यालय महिला शिक्षा के लिए एक आधार स्तम्भ है जो शिक्षा के साथ–साथ अनेक स्तरों पर समाज–निर्माण में महिलाओं की भागीदारी तय करता है।

पाठ्यक्रम एवं विषय

स्नातकः–	(1) कला संकाय (2) विज्ञान संकाय (3) वाणिज्य संकाय
सादर स्नातक :–	कला संकाय (राजनीति विज्ञान)
स्नातकोत्तरः–	कला संकाय–राजनीति विज्ञान, मनोविज्ञान, हिन्दी, संस्कृत
डिप्लोमाः–	पुस्तकालय विज्ञान
पीएच.डी.–	विश्वविद्यालय में पंजीकृत महाविद्यालय के शोध निर्देशकों के अधीन विश्वविद्यालय की प्रक्रियानुसार।

स्नातकः–

1. कला संकाय

(i) स्नातक भाग प्रथम

महाविद्यालय में उपलब्ध विषय एवं उनमें उपलब्ध छात्रा संख्या निम्न प्रकार है–

क्रमांक	विषय	उपलब्ध सीट	क्रमांक	विषय	उपलब्ध सीट
1.	राजनीति विज्ञान	480	8.	संस्कृत	160
2.	हिंदी	400	9.	मनोविज्ञान	80
3.	समाजशास्त्र	320	10.	जी.पी.ई.एम.	80
4.	इतिहास	320	11.	गृह विज्ञान	80
5.	अर्थशास्त्र	240	12.	दर्शन शास्त्र	80
6.	अंग्रेजी	160	13.	सैन्य विज्ञान	60
7.	भूगोल	160	14.	संगीत	20

स्नातक भाग प्रथम में विषय–चयन हेतु विषय–समूह

महाविद्यालय में निम्नलिखित विषय समूह छात्राओं के अध्ययन के लिए उपलब्ध हैं। छात्राएँ इनको अपनी प्राथमिकता के अनुसार वरीयता क्रम प्रदान करते हुए प्रवेश आवेदन करें।

क्र सं.	विषय –I	विषय –II	विषय –III	सेक्शन	सीट
1	**अर्थशास्त्र**	**भूगोल**	**समाजशास्त्र**	A1	**40**
2	**हिन्दी**	**संगीत/सैन्य विज्ञान**	**समाजशास्त्र**	A2	**40**
3	**समाजशास्त्र**	**अर्थशास्त्र**	**मनोविज्ञान**	B1	**40**
4	**हिन्दी**	**इतिहास**	**राजनीति विज्ञान**	B2	**40**
5	**अर्थशास्त्र**	**राजनीति विज्ञान**	**इतिहास**	C	**80**
6	**हिन्दी**	**संस्कृत**	**राजनीति विज्ञान**	D	**80**

7	इतिहास	संस्कृत	राजनीति विज्ञान	E1	40
8	समाजशास्त्र	संस्कृत	भूगोल	E2	40
9	इतिहास	समाजशास्त्र	सैन्य विज्ञान	F1	40
10	अर्थशास्त्र	इतिहास	हिन्दी	F2	40
11	हिन्दी	दर्शन शास्त्र	राजनीति विज्ञान	G1	40
12	हिन्दी	दर्शन शास्त्र	समाजशास्त्र	G2	40
13	हिन्दी	इतिहास	गृहविज्ञान	H1	40
14	हिन्दी	समाजशास्त्र	गृहविज्ञान	H2	40
15	जी.पी.ई.एम.	इतिहास	राजनीति विज्ञान	I1	40
16	जी.पी.ई.एम.	हिन्दी	भूगोल	I2	40
17	अंग्रेजी	मनोविज्ञान	राजनीति विज्ञान	J1	40
18	अंग्रेजी	अर्थशास्त्र	राजनीति विज्ञान	J2	40
19	अंग्रेजी	भूगोल	राजनीति विज्ञान	K1	40
20	अंग्रेजी	समाजशास्त्र	राजनीति विज्ञान	K2	40

राज ऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर में राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के अनुरूप सेमेस्टर प्रणाली आधारित स्नातक पाठ्क्रमों की रूपरेखा

1. सेमेस्टर प्रणाली में स्नातक पाठ्यक्रम तीन/चार वर्षों का होगा।

2. सत्र 2022–23 में स्नातक प्रथम वर्ष में अनुत्तीर्ण रहे सभी छात्रों (Ex एवं स्वयंपाठी) की परीक्षा सेमेस्टर प्रणाली के अनुरूप ही होगी। पूर्व छात्रों का आंतरिक मूल्यांकन नहीं होगा, उनकी सेमेस्टर परीक्षा स्वयंपाठी विद्यार्थियों की तर्ज पर होगी।

3. प्रत्येक वर्ष में दो सेमेस्टर होंगे। छात्रों की विषम सेमेस्टर (अर्थात प्रथम, तृतीय, पंचम तथा सप्तम) की परीक्षा दिसम्बर माह में तथा सम सेमेस्टर (द्वितीय, चतुर्थ, षष्ठम तथा अष्ठम) की परीक्षा मई माह में आयोजित होगी।

4. (1) स्नातक पासकोर्स पाठ्यक्रम B.A./B.Com/B.Sc. में प्रत्येक विद्यार्थी को तीन मुख्य विषयों (Major Subject) का चयन करना होगा। प्रत्येक मुख्य विषय के एक प्रश्न पत्र की परीक्षा आयोजित की जायेगी। मुख्य विषय के अनसार केवल सैद्धान्तिक परीक्षा या सैद्धान्तिक + प्रायोगिक दोनों परीक्षा होगी।

(11) स्नातक ऑनर्स पाठ्यक्रम B.A. (Hons.)/ B.Com. (Hons.)/B.Sc. (Hons) में मुख्य ऑनर्स के प्रत्येक विषय के दो प्रश्न पत्र होंगे तथा तीसरा प्रश्न पत्र मुख्य आनर्स से भिन्न/अन्य विषय का प्रश्न पत्र का चयन करना होगा।

उदाहरण स्वरूप यदि विद्यार्थी B.A. (Hons.) मे राजनीति विज्ञान विषय का चयन करता है तो स्नातक कार्यक्रम B.A (Pol.Sc.) कहलायेगा। इस कार्यक्रम में राजनीति विज्ञान विषय के दो पेपर होंगे तथा तीसरा प्रश्न–पत्र राजनीति विज्ञान विषय से भिन्न/अन्य विषय का प्रश्न–पत्र होगा।

5. मुख्य विषयों के अतिरिक्त विद्यार्थी को प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर में योग्यता वृद्धि पाठय्क्रम (AEC) के अन्तर्गत हिन्दी एवं अंग्रेजी भाषा की परीक्षा देनी होगी। इसी प्रकार प्रथम वर्ष के लिए विश्वविद्यालय द्वारा जारी मूल्य वर्धित पाठ्यक्रम (VAC) तथा कौशल वर्धित पाठ्यक्रम (SEC) की सूची में से पाठ्क्रमानुसार प्रत्येक सेमेस्टर में एक–एक विषय का अध्ययन करना होगा। जिसे निम्न सारणी द्वारा समझा जा सकता हैः–

	Optional major subject 01	**Optional major subject 02**	**Optional major subject 03**	**Ability Enhancement Course (Compulsory)**	**Skill Enhancement Course (Compulsory) Select any one from given list**	**Value Added Course (Compulsory) Select any one from given list**	**Total**
Credit	6 or 4 (Theory)+ 2 (Practical)	6 or 4 (Theory)+ 2 (Practical)	6 or 4 (Theory)+ 2 (Practical)	Hindi (2) English (2)	2	2	26
Marks	150 or 100 (Theory) 50 (Practical)	150 or 100 (Theory) 50 (Practical)	150 or 100 (Theory) 50 (Practical)	Hindi (50) English (50)	50	50	650

List of Ability Enhancement Coures (Both Compulsory)

S.No.	Code	Course Name
1	AEN-51T-1001	FOUNDATIONS OF ENGLISH LANGUAGE:A COMPREHENSIVE INTRODUCTION
3	AHN-51T-1001	SAMANYA HINDI (VYAKRAN)

List of Skill Enhancement Coures (Select Any One)

S.No.	Code	Course Name
1	SEC-T-001	COMPUTER FUNDAMENTALS
2	SEC-T-004	BUSSINESS COMMUNICATION SKILLS
3	SEC-T-005	EFFECTIVE COMMUNICATIONS SKILLS
4	SEC-T-007	LOGICAL AND CRITICAL THINKING
5	SEC-T-0014	अनुवाद कौशल
6	SEC-T-0015	प्रभावी हिन्दी लेखन
7	SEC-T-0019	SURVEY METHODOLOGY

List of Value Added Coures (Select Any One)

S.No.	Code	Course Name
1	VAC-P-001	ANANDAM
2	VAC-T-002	DIGITAL ENHANCEMENT
3	VAC-T-003	UNDERSTANDING INDIAN SOCIETY & CULTURE
4	VAC-T-004	NUTRITION FOR HEALTH AND FITNESS
5	VAC-T-007	INDIAN VALUE SYSTEM
6	VAC-T-009	FINANCIAL LITERACY
7	VAC-P-006	NATIONAL CADET CORPS (NCC-1) SEM-1
8	VAC-P-008	NATIONAL SERVICE SCHEME (NCC-1) SEM-1

विशेष निर्देशः–

(1) विषय का चयन करते समय विशेष सावधानी रखें।

(2) बी.ए. भाग प्रथम के आवेदक को चाहिए कि वह वैकल्पिक विषयों के लिए अपनी पंसद के समूह की वरीयता निर्धारित स्थान पर अंकित करें।

(3) ऑनलाइन आवेदन करते समय छात्राओं द्वारा भरे गये विषय समूहों में से ही वरीयता के आधार पर विषय समूह आवंटित किये जायेगें।

(4) प्रवेश के लिए इच्छित विषय में परिवर्तन–अपरिहार्य होने पर ही, घोषित अवधि में नियमानुसार शुल्क लेकर ही किया जा सकेगा और तत्पश्चात कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा।

(5) किसी विषय समूह की वरीयता क्रमांक में पुनरावृत्ति नहीं करनी है।

(6) जिन छात्राओं के पास सीनियर सैकण्डरी में संगीत विषय था, उनको संगीत विषय में वरीयता दी जाएगी।

(7) विषय आवंटन मैरिट के आधार पर होगा। आवेदित विषय समूह उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में प्रवेश समिति द्वारा आवंटित विषय समूह मान्य होगा।

(8) विषय समूह के सभी सम्भावित समूहों में से कम से कम तीन समूह भरने आवश्यक हैं, केवल एक या दो नहीं।

(9) चूँकि समस्त विषयों में भी स्थान संख्या निर्धारित है, अतः सम्बन्धित विषय में स्थान भर जाने की स्थिति में प्रवेश समिति को अन्य समूहों में स्थान उपलब्ध होने की सीमा तक आवेदन का विषय समूह, आवेदक द्वारा दिए गये वरीयता क्रम के अनुसार निर्दिष्ट अन्य विषय समूह अथवा वह भी सम्भव नहीं हो तो, उपलब्ध अन्य विषय समूह में परिवर्तन करने का अधिकार होगा जिसे मानना आवेदक के लिये अनिवार्य होगा।

(10) सभी कक्षाओं की परीक्षा विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित की जाएँगी।

स्नातक भाग द्वितीय एवं तृतीय– इस संस्था के स्नातक भाग प्रथम के समय चयनित वैकल्पिक विषय समूह ही मान्य होगा।

(2) विज्ञान संकाय

(i) स्नातक भाग प्रथम – 350 सीट

उपलब्ध वर्ग

निम्न विषय समूहों में से कोई एक लिया जा सकता है।

समूह– 1. भौतिक शास्त्र (210), रसायन शास्त्र (210) एवं गणित (210)

समूह– 2. प्राणि शास्त्र (140), रसायन शास्त्र (140) एवं वनस्पति शास्त्र (140)

नोटः– एक विषय समूह में प्रवेश लेने के पश्चात् दूसरे विषय समूह में परिवर्तन स्थान उपलब्ध होने पर ही किया जा सकेगा।

(ii) स्नातक भाग द्वितीय एवं तृतीय

इस संस्था के स्नातक भाग प्रथम के समय चयनित वैकल्पिक विषय समूह ही मान्य होगा।

3. वाणिज्य संकाय

(i) स्नातक भाग प्रथम (उपलब्ध सीट 400)

वैकल्पिक विषय– 1. लेखा एवं व्यावसायिक सांख्यिकी

2. व्यावसायिक प्रशासन

3. आर्थिक प्रशासन एवं वित्तीय प्रबंध

(ii) स्नातक भाग द्वितीय एवं तृतीय

इस संस्था के स्नातक भाग प्रथम के समय चयनित वैकल्पिक विषय समूह ही मान्य होगा।

विशेष नोट– स्नातक स्तर के समस्त संकायों की कक्षा में जिन प्रश्न–पत्रों के पाठ्यक्रम में विकल्प की व्यवस्था है, छात्राएँ उनमें से केवल उसी विकल्प का अध्ययन करेंगी, जिसे सम्बन्धित विभाग द्वारा इस संस्था में अध्ययन हेतु मान्य किया जायेगा।

सादर स्नातक (ऑनर्स) (राजनीति विज्ञान) (उपलब्ध सीट 80)

(i) राजनीति विज्ञान को ऑनर्स विषय के रूप में लिया जा सकता है।

(ii) ऑनर्स त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम है।

(iii) ऑनर्स की छात्रा स्वयंपाठी नहीं हो सकती है।

(iv) ऑनर्स में प्रवेश लेने वाली छात्रा को मुख्य विषय के साथ एक सहायक विषय लेना होता है।

(v) प्रथम वर्ष सादर स्नातक (ऑनर्स) राजनीति विज्ञान विषय के साथ कोई भी प्रायोगिक विषय देय नहीं होगा।

4. स्नातकोत्तर कक्षाएँ–

महाविद्यालय में निम्न विषयों में स्नातकोत्तर अध्ययन की सुविधा उपलब्ध है।

राजनीति विज्ञान (60 सीट),

मनोविज्ञान (30 सीट),

हिन्दी (60 सीट)

संस्कृत (40 सीट)

स्नातकोत्तर उत्तरार्द्ध में विश्वविद्यालय नियमों के अधीन छात्राओं हेतु लघुशोध प्रबंध (Dissertation) की सुविधा उपलब्ध है।

विशेष नोटः– जिन प्रश्न–पत्रों में विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम में विकल्प की व्यवस्था है, उसमें छात्राएँ उसी विकल्प का अध्ययन करेंगी, जिन्हें सम्बन्धित विभाग द्वारा इस महाविद्यालय में अध्ययन हेतु मान्य किया जायेगा।

4. पुस्तकालय विज्ञान डिप्लोमा पाठ्यक्रम (डी.लिब.)

उपलब्ध सीट–40, विश्वविद्यालय पाठ्यक्रमानुसार।

5. शोध कार्य (पी.एच.डी.)

महाविद्यालय में स्नातकोत्तर उपाधि के उपरान्त निम्नलिखित विभागों में राजर्षि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय में पंजीकृत शोध निर्देशकों का पीएच.डी. उपाधि हेतु मार्गदर्शन उपलब्ध है–

विभाग	शोध निर्देशक
1. हिन्दी	डॉ. संगीता गोगिया, डॉ. बुद्धमति यादव, डॉ. उमेश कुमार राय, डॉ. अशोक मीणा
2. संस्कृत	डॉ. लता शर्मा, डॉ. धनञ्जय कुमार सिंह डॉ. वीरेन्द्र कुमार जोशी, डॉ. राकेश कुमार, डॉ. मधुबाला मीणा
3. राजनीति विज्ञान	डॉ. शैफाली बार्थोनिया, डॉ. पूर्णिमा कौशिक
4.मनोविज्ञान	डॉ. एस.एस. भाटी, डॉ. अर्पिता चौधरी
5. अंग्रेजी	डॉ. सुनीता यादव, डॉ. मंजू शर्मा, डॉ. विनीता गोयल

6. जी.पी.ई.एम.	डॉ. ऋतु गुप्ता, डॉ. रश्मि गुप्ता
7. वनस्पति शास्त्र	डॉ. चित्रा शेखावत, डॉ. मनीषा शर्मा
8. रसायन शास्त्र	डॉ. रचना आसोपा
9. अर्थशास्त्र	डॉ. अंजु बाला गुप्ता

पीएच.डी. उपाधि हेतु शोध कार्य के इच्छुक अभ्यर्थी राजस्थान विश्वविद्यालय एवं मत्स्य विश्वविद्यालय की शोध शाखा द्वारा प्रकाशित विज्ञापन के अनुसार अपेक्षित विषय पर उपर्युक्त महाविद्यालय शोध निर्देशकों से सम्पर्क कर शोध कार्य कर सकते हैं।

सामान्य निर्देश

1. प्रवेश सम्बन्धी निर्देश

1.1 सभी कक्षाओं (कला, विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय के प्रथम वर्ष, सादर स्नातक (ऑनर्स), राजनीति विज्ञान के प्रथम वर्ष) एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं के प्रवेश आवेदन पत्र ऑन लाईन भरे जाएंगे। आवेदन पत्र सावधानी पूर्वक भरें। ऑनलाईन आवेदित प्रवेश आवेदन पत्र की एक प्रति (हार्ड कॉपी) महाविद्यालय में जमा करवानी होगी और प्रवेश शुल्क ई–मित्र पर जमा होगा।

विशेष नोट– आवेदन पत्र भरते समय स्वयं की ईमेल आई.डी., मोबाइल नम्बर (स्वयं छात्रा का), जनाधार नम्बर आवश्यक रूप से भरें तथा मोबाइल नम्बर का प्रयोग महाविद्यालय के अध्ययन की अवधि एवं उसके बाद भी बना रहे ताकि आवश्यक सूचना सही समय एवं रूप में छात्रा को दी जा सके।

1.2 पुस्तकालय विज्ञान (डी.लिब.) में प्रवेश के लिए आवेदन पत्र महाविद्यालय में ही (ऑफलाइन) भरें जाएंगे तथा प्रवेश शुल्क भी महाविद्यालय में ही जमा होगा।

1.3 ऑनलाईन आवेदन पत्र महाविद्यालय की वेबसाईट **www.gdcollegealwar.org** तथा निदेशालय की वेबसाईट **www.collegeeducation.rajasthan.gov.in** पर उपलब्ध होते हैं।

1.4 यदि आप प्रवेश हेतु एक से अधिक पाठ्यक्रमों/संकाय/स्नातकोत्तर विषयों का विकल्प रखना चाहती हैं तो आपको प्रत्येक पाठ्यक्रम/संकाय/विषय हेतु अलग–अलग आवेदन पत्र भरना होगा। किसी भी पाठ्यक्रम/संकाय/स्नातकोत्तर विषय हेतु प्रस्तुत

किए गए आवेदन पत्र को अन्य पाठ्यक्रम/संकाय/विषय में प्रवेश के लिए परिवर्तित करने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

1.5 प्रवेश आवेदन पत्र में अपना एवं अपने अभिभावक का नाम वही लिखिये जो बोर्ड अथवा विश्वविद्यालय के प्रमाण–पत्र में लिखा है।

1.6 समय से ऑनलाईन आवेदन नहीं करने पर अथवा अपूर्ण आवेदन होने पर उन पर विचार नहीं किया जायेगा।

1.7 राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अंतिम तिथि के पश्चात् (कश्मीरी विस्थापितों को छोड़कर) किसी भी आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा।

1.8 जिन छात्राओं का कोई प्रश्न–पत्र ड्यू (उत्तीर्ण होने से) रह जाता है एवं वे पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करती हैं, उनको सत्र के प्रारम्भ में ही प्रवेश की निर्धारित तिथि तक आगामी कक्षा में यदि वह नियमानुसार पात्र हैं तो, अस्थायी प्रवेश ले लेना चाहिए। उनकी उपस्थिति महाविद्यालय में अध्ययन प्रारम्भ होने की तिथि से गिनी जायेगी। निर्धारित तिथि तक प्रवेश न लेने की स्थिति में पुनर्मूल्यांकन परीक्षा का परिणाम घोषित होने के बाद उनका नियमित प्रवेश नहीं हो सकेगा। इस आधार पर प्रविष्ट नियमित छात्राओं को परिणाम घोषित होने के सात दिन के अन्दर अंक तालिका जमा कराना अनिवार्य होगा अन्यथा उनका प्रवेश रद्द कर दिया जायेगा। पुनर्मूल्यांकन में अनुत्तीर्ण रहने की स्थिति में छात्रा का प्रवेश स्वतः ही निरस्त हो जायेगा तथा उन्हें कोई शुल्क वापस नहीं किया जायेगा।

1.9 विषय समूह का चयन सावधानी पूर्वक करें, ताकि बाद में विषय परिवर्तन की समस्या से आप मुक्त हो सकें। प्रत्येक विषय में उपलब्ध वर्ग तथा उनमें सीटों की संख्या निश्चित है। शुल्क जमा कराने से पूर्व अपने विषय समूह की भली भाँति जाँच कर लें।

1.10 छात्रा के लिए प्रवेश आवेदन–पत्र पर यथास्थान अपना छाया चित्र (फोटो) लगाना अनिवार्य है।

1.11 प्रवेश आवेदन–पत्र पर यथास्थान छात्रा के पिता/ माता/पति/संरक्षक के हस्ताक्षर आवश्यक हैं। गलत व छद्म हस्ताक्षर करवाना अथवा किया जाना दण्डनीय होगा और छात्रा का प्रवेश तुरन्त रद्द कर दिया जायेगा।

1.12 सेवारत प्रार्थी अपने नियोक्ता अधिकारी का अनुमति पत्र संलग्र करें अन्यथा प्रवेश अवैध समझा जायेगा, जिसके लिए प्रार्थी स्वयं उत्तरदायी होगा।

1.13 प्रवेश प्रक्रिया के समय निम्नलिखित प्रलेखों की स्वयं सत्यापित प्रतियाँ संलग्न करना अनिवार्य है–

(**i**) अर्हकारी परीक्षा की अंकतालिका

(क) स्नातक स्तर के लिए दो प्रतियाँ। (ख) स्नातकोत्तर स्तर के लिए स्नातक के तीनों वर्षों की अंकतालिका की एक–एक प्रति।

(**ii**) माध्यमिक परीक्षा की अंकतालिका–स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थी हेतु।

(**iii**) स्थानान्तरण प्रमाण–पत्र (**T.C**) मूल प्रति

(**iv**) चरित्र प्रमाण–पत्र (**C.C**) मूल प्रति

नोटः स्वयंपाठी छात्रा की स्थिति में अंतिम संस्था का स्थानान्तरण प्रमाण–पत्र एवं दो उत्तरदायी व्यक्तियों से प्राप्त चरित्र प्रमाण–पत्र।

(**v**) स्नातक प्रथम वर्ष में जो छात्राएँ राजस्थान बोर्ड के अतिरिक्त अन्य किसी भी बोर्ड से 12 वीं की परीक्षा उत्तीर्ण हैं, उन्हें आव्रजन प्रमाण–पत्र (migration-certificate) जमा करवाना होगा। इसी प्रकार स्नातकोत्तर स्तर पर मत्स्य विश्वविद्यालय से अतिरिक्त अन्य विश्वविद्यालय से परीक्षा उत्तीर्ण होने पर आव्रजन प्रमाण–पत्र देना होगा। (यदि वर्तमान में उपलब्ध न हो तो प्रवेश के एक माह में जमा कराना अनिवार्य है।)

(**vi**) जाति प्रमाण पत्र– अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर)/विशेष पिछड़ा वर्ग की है, तो जिलाधीश/सहायक जिलाधीश/उपखण्ड अधिकारी/तहसीलदार अथवा सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो। साथ ही अन्य पिछडा वर्ग का प्रमाण पत्र प्रवेश फॉर्म भरने की तिथि से तीन वर्ष से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए।

(**vii**) विकलांग प्रमाण पत्र– यदि आवेदक विकलांग हो तो, पुनर्वास केन्द्र द्वारा, किन्तु जहाँ पुनर्वास केन्द्र न हो वहाँ सी.एम.एच.ओ. अथवा इस हेतु समकक्ष अन्य अधिकृत चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण–पत्र। (प्रवेश नीति के अनुसार)

(**viii**) मृत राज्य कर्मचारी/कॉलेज शिक्षा विभाग अथवा प्रतिरक्षा सेवा में सेवारत या सेवानिवृत सैनिक की संतान के संदर्भ में सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण–पत्र (प्रवेश नीति के अनुसार)

(**ix**) पुस्तकालय विज्ञान डिप्लोमा पाठ्यक्रम में आरक्षित वर्ग के अंतर्गत प्रवेश चाहने वाली अभ्यर्थी के लिए सम्बन्धित आरक्षित वर्ग की पात्रता हेतु सम्बन्धित सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण–पत्र। (प्रवेश नीति के अनुसार)

(**x**) वरीयता/लाभ प्राप्ति हेतु नियमानुसार निर्धारित बोनस अंक प्राप्त करने के लिए आवश्यक प्रमाण–पत्र तथा एन.सी.सी., खेलकूद एवं अन्य सहशैक्षणिक एवं शिक्षणेतर गतिविधियों के सम्बन्ध में सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण–पत्र। (प्रवेश नीति के अनुसार)

विशेष नोटः–

(क) उपर्युक्त किसी भी प्रकार के आरक्षण/विशेष रियायत/लाभ प्राप्त करने हेतु आवश्यक प्रमाण–पत्रों की सत्यापित प्रतिलिपियाँ प्रवेश आवदेन –पत्र के साथ ही प्रस्तुत करना अनिवार्य है। बाद में प्रस्तुत प्रमाण पत्र स्वीकार्य नहीं होंगे।

(ख) उपर्युक्त आरक्षण/रियायत/लाभ हेतु प्रवेश आवेदन पत्र में दिया हुआ आवेदन पत्र भी पृथक् से भरना अनिवार्य है। इस आवेदन पत्र के अभाव में कोई भी लाभ स्वीकार्य नहीं होगा।

(ग) प्रवेश आवेदन के साथ उपर्युक्त नियम 1.13 में अंकित सभी दस्तावेजों की सत्यापित प्रतिलिपियाँ ही संलग्र करें। इन दस्तावेजों की मूल प्रतियाँ प्रवेश से पूर्व प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

1.14 वरीयता क्रम के अनुरूप प्रवेश हेतु पात्र अभ्यर्थियों की सूची कॉलेज सूचना पट्ट तथा कॉलेज वेबसाईट https://hte.rajasthan.gov.in/college/ggcalwar पर लगाई जाती है। तदनुसार अभ्यर्थियों को निर्धारित तिथि तक प्रवेश शुल्क जमा करवा देना चाहिए।

1.15 निर्धारित तिथि तक प्रवेश शुल्क जमा न होने पर प्रवेश का अवसर स्वतः निरस्त हो जाएगा।

1.16 प्रवेश हो जाने पर कार्यालय से परिचय–पत्र लेना आवश्यक है। प्रवेश का नवीनीकरण करवाने वाली छात्राओं को भी उनके नवीन परिचय–पत्र महाविद्यालय द्वारा उपलब्ध करवाएँ जाते हैं।

1.17 प्रवेश समिति द्वारा आवंटित वर्ग एवं विषय में अभ्यर्थी द्वारा अपने स्तर पर कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा।

1.18 प्राचार्य को अधिकार है कि उचित कारण होने पर किसी भी आवेदन–पत्र को अस्वीकार कर दें/प्रवेश निरस्त कर दें।

1.19 आवेदन–पत्र में दिये गये समस्त विवरणों का उत्तरदायित्व पूर्णतः प्रार्थी का होगा। किसी भी प्रकार की असत्य सूचना देने की जानकारी प्राप्त होते ही छात्रा का प्रवेश तुरन्त रद्द कर दिया जायेगा।

1.20 महाविद्यालय में प्रवेश मिल जाने के बाद भी यदि किसी विद्यार्थी का आचरण आपत्तिजनक पाया गया अथवा उसने महाविद्यालय का अनुशासन भंग किया अथवा प्रवेश आवेदन पत्र में कोई सूचना असत्य पाई गई अथवा महाविद्यालय नियमों का उल्लंघन किया अथवा अपने पिता/माता/पति/संरक्षक के स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति के हस्ताक्षर कराये अथवा स्वयं ने हस्ताक्षर किये तो उसके ये कार्य दण्डनीय अपराध समझे जायेंगे और उसका प्रवेश तुरन्त रद्द कर दिया जायेगा।

1.21 विश्वविद्यालय से अनुमोदन प्राप्त होने तक सभी प्रवेश अस्थाई माने जायेंगे।

1.22 प्रवेश नीति अथवा शैक्षणिक सत्र–सारिणी में राज्य सरकार द्वारा जारी संशोधन यथानुसार मान्य एवं प्रभावी होंगे।

1.23 प्रवेश नीति में मुद्रण सम्बन्धी अशुद्धि की स्थिति में निदेशालय द्वारा जारी प्रवेश नीति ही मान्य होगी।

1.24 निदेशालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान जयपुर के आदेशानुसार महाविद्यालय में संचालित (1) एन.सी.सी. (2) एन.एस.एस. (3) रोवर/रेंजर/स्काउट (4) युवा विकास केन्द्र/महिला प्रकोष्ठ/मानवाधिकार क्लब गतिविधियों में से एक गतिविधि लेना अनिवार्य है। छात्राएँ अपनी रुचि के अनुसार इन्हें प्राथमिकता के साथ आवेदन पत्र में आवश्यक रूप से अंकित करें।

2. परीक्षा सम्बन्धी निर्देश

परीक्षा सम्बन्धी जानकारी व निर्देशों के लिए छात्राएँ समय–समय पर महाविद्यालय सूचना पट्ट तथा राजर्षि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय **(www.univindia.org)** एवं महाविद्यालय वेबसाईट को देखें।

3. उपस्थिति सम्बन्धी निर्देश

3.1 विद्यार्थियों के लिए 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है। माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान के आदेश की अनुपालना में विश्वविद्यालय के निर्देशों के अनुसार 75 प्रतिशत न्यूनतम आवश्यक उपस्थिति पूर्ण करने का दायित्व स्वयं छात्रा का होगा। विश्वविद्यालय द्वारा अपेक्षित न्यूनतम 75 प्रतिशत उपस्थिति पूर्ण नहीं होने से उत्पन्न होने वाली स्थिति के लिए छात्रा स्वयं जिम्मेदार होगी। उसे नियमित छात्रा के रूप में परीक्षा देने से वंचित कर दिया जायेगा एवं छात्रवृत्ति का लाभ भी देय नहीं होगा। छात्राओं से अपेक्षा की जाती है कि वे महाविद्यालय में नियमित रूप से अपनी कक्षाओं में उपस्थित रहें।

3.2 छात्रा को प्रवेश के बाद खण्ड (सैक्शन) आंवटित किया जायेगा और उपस्थिति हेतु आवंटित खण्ड ही मान्य होगा। आवंटित खण्ड परिवर्तित नहीं किया जायेगा।

4. पुस्तकालय सम्बन्धी निर्देश

पुस्तकालय महाविद्यालय की आत्मा है इस उक्ति की सार्थकता एक ओर पुस्तकालय में श्रेष्ठ पुस्तकों के संग्रह से है, तो दूसरी ओर विद्यार्थियों के लिए पुस्तकालय की सर्वोपरि महत्ता से है। पुस्तकालय में 55,000 से अधिक पुस्तकें हैं। छात्राएँ उनका अधिकाधिक उपयोग करें और अपने ज्ञान–क्षितिज को विस्तृत करती रहें, यही हमारा प्रयत्न है; पर इसकी सफलता के लिए निम्नलिखित नियमों का पालन करना प्रत्येक छात्रा के लिए अनिवार्य है। जो

छात्रा इनका उल्लंघन करती हुई पाई जायेगी, उस पर नियमानुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।

4.1 पुस्तकालय से आपको दो रीडर्स कार्ड मिलेंगे। प्रत्येक कार्ड पर आप एक पुस्तक 15 दिन के लिए घर ले जा सकती हैं। ऑनर्स कक्षा की छात्रा को एक एवं स्नातकोत्तर कक्षा की छात्रा को दो अतिरिक्त रीडर्स कार्ड मिलेंगे। ये कार्ड एक सत्र के लिए होते हैं और ये अहस्तांतरणीय हैं। सत्र समाप्ति पर कार्ड वापस जमा करवाने अनिवार्य हैं।

4.2 यदि कार्ड खो गया है तो तुरन्त पुस्तकालयाध्यक्ष को सूचित करें एवं सुनिश्चित करें कि उस कार्ड पर कोई भी पुस्तक नहीं ली गई है। इस कार्ड पर कोई पुस्तक निर्गमित न होने पर 20 रूपये देकर पुनः कार्ड बनवाया जा सकता है।

4.3 किसी भी कार्ड पर निकाली गई पुस्तक की समस्त जिम्मेदारी सम्बन्धित छात्रा की होगी, अतः पुस्तक और कार्ड दोनों की सुरक्षा के लिए छात्रा सजग रहे।

4.4 एक पुस्तक 15 दिन की अवधि के लिए दी जाती है परन्तु विशेष परिस्थिति में पुस्तक को पहले भी मंगवाया जा सकता है। अवधि के पश्चात् लौटाई गई पुस्तक पुनः उसी छात्रा को नहीं दी जायेगी।

4.5 सन्दर्भ–ग्रंथ, पाठ्यक्रम पुस्तिका, शब्द–कोष, मानचित्र, परीक्षा प्रश्न–पत्र, समाचार पत्र एवं पत्रिकाओं का उपयोग केवल पुस्तकालय कक्ष/वाचनालय में ही किया जा सकता है। इन्हें घर ले जाने की अनुमति नहीं है।

4.6 पुस्तकालय सम्बन्धी सभी समस्याओं के लिए छात्राएँ पुस्तकालय समिति से सम्पर्क करें जिनके सदस्यों की सूचना पुस्तकालय में उपलब्ध है।

4.7 पुस्तक पर लिखना, पुस्तक के पृष्ठों को फाड़ना, अन्य किसी प्रकार की क्षति पहुँचाना दण्डनीय अपराध है।

ऑन लाइन एडमिशन प्रोसेस (OAP)

(i) राजकीय महाविद्यालयों में प्रवेश प्रक्रिया को सरल, सहज, सुगम व पारदर्शी बनाने की दृष्टि से, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विगत

कुछ वर्षों से चरणबद्ध रूप से समस्त राजकीय महाविद्यालयों के स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं में ऑनलाइन प्रवेश की प्रक्रिया लागू है।

(ii) ऑन लाइन एडमिशन प्रोसेस विभाग के वेब पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध एडमिशन लिंक के द्वारा ऑन लाइन आवेदन फार्म प्रवेश कार्यक्रमानुसार उपलब्ध कराया जाता है। प्रवेश प्रक्रिया, फार्म भरने के निर्देश तथा तिथियों आदि की जानकारी प्रवेश नीति के अनुसार बेव पोर्टल पर उपलब्ध रहती है।

(iii) ऑन लाइन एडमिशन प्रक्रिया के अन्तर्गत समस्त पाठ्यक्रमों की प्रवेश सूचियाँ– अन्तरिम/अन्तिम (Provisional/Final) महाविद्यालय के एडमिशन बेवपृष्ठ पर एवं महाविद्यालय सूचना पट्ट पर उपलब्ध करवाई जाती है।

(iv) महाविद्यालय में कक्षानुसार उपलब्ध स्थानों के लिए प्रथम अन्तरिम सूची के साथ प्रतीक्षा सूची भी जारी की जाती है। इन सूचियों में निर्धारित तिथि तक शुल्क जमा कराने की अवधि के समाप्त होने पर रिक्त रहे स्थानों की पूर्ति हेतु पुनः आवेदन प्रक्रिया प्रारम्भ होती है तथा पूर्व प्रक्रिया से रिक्त स्थानों की पूर्ति की जाती है।

(v) प्रत्येक प्रवेश सूची मय प्रतीक्षा सूची जारी होने के पश्चात् समस्त अभ्यर्थियों को मूल अंक तालिकायें, स्थानान्तरण प्रमाण–पत्र, चरित्र प्रमाण–पत्र एवं अन्य दस्तावेजों की जाँच महाविद्यालय में करानी होती है। सत्यापन के बाद ही ई–मित्र काउन्टर पर शुल्क जमा कराना होता है।

(vi) प्रतीक्षा सूची में स्थान प्राप्त सभी अभ्यर्थियों को भी दस्तावेजों का सत्यापन करवाकर अंतरिम प्रवेश शुल्क ई–मित्र पर निर्धारित तिथि तक जमा करवाना होता है। प्रतीक्षा सूची में से शुल्क जमा करवा चुके ऐसे अभ्यर्थी जिनका प्रवेश नहीं हो पाता है उनके द्वारा जमा करवाया गया शुल्क महाविद्यालय द्वारा लौटा दिया जाता है।

(स) स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर पर नवीनीकरण प्रक्रिया

विधि संकाय सहित सभी संकायों के स्नातक पार्ट द्वितीय एवं तृतीय तथा स्नातकोत्तर (उत्तरार्द्ध) में प्रवेश के लिए सत्र 2024–25 में महाविद्यालय के नियमित अथवा पूर्व छात्रा (एक्स स्टूडेन्ट) होना तथा विश्वविद्यालय द्वारा उच्च शिक्षा में प्रवेश योग्य घोषित करना ही पर्याप्त है, बशर्ते उसका व्यवहार व चरित्र संतोषजनक रहा हो।

नोटः

1. विधि संकाय सहित स्नातक द्वितीय एवं तृतीय वर्ष तथा स्नातकोत्तर उत्तरार्द्ध में सत्रारम्भ से सैद्धान्तिक एवं प्रायोगिक कक्षाओं में अध्यापन कार्य प्रारम्भ होता है। इन कक्षाओं में नियमित विद्यार्थी बिना परीक्षा परिणाम घोषित हुए अध्यापन एवं शुल्क जमा का कार्य करेंगे।

2. सभी प्रवेश योग्य अभ्यर्थियों को निर्धारित तिथि तक शुल्क ई–मित्र/नेट बैंकिग द्वारा जमा करवाना होगा। अर्हकारी परीक्षा में अनुत्तीर्ण ऐसे छात्र/छात्राएँ जिन्हें विश्वविद्यालय द्वारा अगली कक्षा में प्रवेश योग्य घोषित नहीं किया जाता, उनका अस्थाई प्रवेश स्वतः ही निरस्त हो जाएगा तथा उनके द्वारा जमा कराई गई राशि आवेदन करने पर वापिस लौटा दी जाएगी। जो विद्यार्थी निर्धारित तिथि तक शुल्क जमा नहीं करवाते, उनका परीक्षा आवेदन पत्र महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय को अग्रेषित नहीं किया जायेगा। एकीकृत प्रवेश में फीस जमा करवाने वाले, विश्वविद्यालय द्वारा अगली कक्षा में प्रवेश योग्य मान्य विद्यार्थी, जो एकीकृत प्रवेश में फीस जमा करवा चुके हों, उन्हें ही आगामी कक्षा का नियमित विद्यार्थी माना जायेगा।

3. यदि विद्यार्थी शुल्क में रियायत प्राप्त करने का पात्र है तथा वह रियायत चाहता है तो उसे तत्सम्बन्धी (आय प्रमाण–पत्र/नॉन क्रीमिलेयर आदि) अद्यतन प्रमाण–पत्र महाविद्यालय में मूल दस्तावेजों के सत्यापन के समय प्रस्तुत करने होगें। प्रमाण–पत्र/पत्रों के अभाव में पूर्ण शुल्क जमा किया जायेगा। एक बार पूर्ण शुल्क जमा कराने के उपरान्त यदि बाद में रियायत सम्बन्धी प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया जाता है, तो रियायत पर विचार नहीं किया जायेगा।

4. द्वितीय/तृतीय वर्ष तथा स्नातकोत्तर उत्तरार्द्ध में निम्न स्थितियों में नियमित विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त माना जायेगा–

   (अ) निर्धारित तिथि तक शुल्क नहीं जमा कराने पर

   (ब) टी.सी. लेकर अन्यत्र जाने पर।

   (स) विश्वविद्यालय परीक्षा में अनुचित साधनों के प्रयोग के लिए दण्डित किया गया हो।

   (द) लिखित में स्पष्ट प्रवेश से मना करने पर।

5. महाविद्यालय के नियमित/पूर्व विद्यार्थियों के अतिरिक्त द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में प्रवेश इच्छुक ऐसे अभ्यर्थी जो स्वयंपाठी रहे हों अथवा अन्तराल के उपरान्त/स्थानान्तरण के कारण प्रवेश लेना चाहें, उन्हें प्रवेश आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा जिसके साथ वांछित दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा । इन आवेदन पत्रों पर नियम 1.6, 5.6 व 5.7 के अनुसार प्राचार्य विचार करने हेतु अधिकृत होंगे ।

प्रवेश नीतिः–

प्रवेश नीति के लिए यहाँ क्लिक करें

छात्राओं को देय सुविधायें

छात्राओं के लिए निम्न सुविधाएँ उपलब्ध हैं :

1. निजी वाहन स्टैण्ड

महाविद्यालय में छात्राओं के निजी वाहन रखने हेतु स्टैण्ड की व्यवस्था की गई है। छात्राएँ अपना वाहन निर्धारित स्टैण्ड पर ही खड़ा करें। अन्य स्थान पर वाहन खड़ा करने की स्थिति में छात्राओं से नियमानुसार जुर्माना वसूल किया जायेगा। साथ ही महाविद्यालय की वाहन के प्रति कोई जिम्मेदारी भी नहीं होगी। स्टैण्ड पर वाहन खड़ा कर महाविद्यालय से बाहर जाना सर्वथा वर्जित है। वाहन खड़ा कर सीधे निर्धारित कालांश/कक्षा अथवा महाविद्यालय की सम्बद्ध गतिविधियों में सहभागी होवें। अन्यत्र पलायन करने वाली छात्राओं के वाहन जब्त कर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

2. जलपान गृह

महाविद्यालय परिसर में जलपान गृह (कैण्टीन) की व्यवस्था है। यहाँ पर छात्राओं को उचित मूल्य पर नाश्ता मिल सकता है। छात्राओं को परामर्श दिया जाता है कि वे जलपान गृह से सामान उधार क्रय न करें, गन्दगी न फैलायें एवं कचरा पात्र का प्रयोग करें। पॉलीथीन थैलियों का उपयोग पूर्णतः वर्जित है।

3. छात्रावास (उपलब्ध सीट–186)

महाविद्यालय में महिला छात्रावास की सुविधा उपलब्ध है। छात्रावास में छात्राओं की परस्पर सहकारिता के आधार पर भोजन (मैस) की व्यवस्था है।

1. छात्रावास में केवल नियमित छात्राओं को ही प्रवेश दिया जायेगा।
2. गत परीक्षा में अनुत्तीर्ण छात्राओं को प्रवेश नहीं दिया जाएगा।
3. छात्राओं को हॉस्टल में प्रवेश आवश्यक रूप से अकादमिक वरीयता क्रम से दिया जाएगा।
4. जिस छात्रा के विरूद्ध किसी आपराधिक मामले में पुलिस द्वारा चालान पेश किया हुआ हो, उसे प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
5. चालू सत्र या पूर्व सत्रों में रैगिंग के प्रकरणों में लिप्त पाये गये विद्यार्थी जिन्हें संस्था प्रशासन द्वारा दण्डित किया गया हो, को प्रवेश नहीं दिया जावेगा।

6. जो छात्रा एक स्नातकोत्तर परीक्षा पास चुकी है और किसी दूसरी स्नातकोत्तर परीक्षा की विद्यार्थी हो, उसे प्रवेश नहीं दिया जावेगा।

7. प्रत्येक छात्रा जिसे प्रवेश दिया जावेगा उसको तथा उसके अभिभावक को प्रवेश के समय लिखित वचनपत्र (अन्डर–टेकिंग) देना होगा कि वह अपने वर्तमान सत्र की अंतिम परीक्षा समाप्त होने के दो दिन के भीतर छात्रावास खाली कर देगी और लिखित रिपोर्ट वार्डन को प्रस्तुत करेगी अन्यथा संस्था को छात्रावास जबरन खाली कराने का अधिकार होगा।

8. समय–समय पर वार्डन/प्राचार्य द्वारा जारी अन्य निर्देशों/नियमों की अनुपालना करना छात्रा के लिए अनिवार्य होगा।

9. छात्रावास में वार्डन के पास गैर छात्रावासी छात्र/छात्राओं के लिए विजिटर रजिस्टर उपलब्ध है जिसमें गैर छात्रावासी छात्र/छात्रा का नाम, आने का उद्देश्य, तारीख एवं समय अंकित करना होगा। छात्रावास की छात्राओं को निर्देश दिया जाता है कि वे उन रिश्तेदारों/परिचितों से ही मिले जिनका उल्लेख छात्रावास प्रवेश फार्म में अंकित हो/छात्रा द्वारा प्रवेश के समय घोषित किया गया हो। मिलने का समय प्रातः 10 बजे से 12 बजे तक तथा अपराह्न 4 बजे से 6 बजे तक रहेगा।

10. छात्राएँ छात्रावास छोड़ते समय मूवमेंट रजिस्टर में अपना नाम, जाने का उद्देश्य, तारीख एवं समय अंकित करें।

11. छात्रावास में छात्रा के कोई भी रिश्तेदार एवं मेहमान नहीं रुक सकेंगे।

12. निवासी छात्राओं पर बिजली सम्बन्धित उपकरण जैसे हीटर, हीटिंग रॉड, प्रेस एवं गैस सिलैण्डर आदि रखने व प्रयोग करने पर सख्त पाबंदी रहेगी। किसी छात्रा के कमरे में उपर्युक्त सामग्री पाये जाने पर छात्रा को छात्रावास से निष्कासित कर दिया जाएगा।

13. छात्रावास की व्यवस्थाओं में व्यवधान अनुशासनहीनता की श्रेणी में माना जायेगा। निवासी छात्राओं द्वारा अपनी समस्याएँ विचारार्थ प्रस्तुत की जा सकेंगी, लेकिन समस्या को लेकर सामूहिक हस्ताक्षर अभियान चलाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी। जिस पर अधीक्षिका/प्राचार्य द्वारा कार्यवाही की जा सकेगी।

14. छात्रावास में प्रवेश लेने की इच्छुक छात्राओं को सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा देय स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
15. छात्रावास शुल्क एक बार जमा होने के पश्चात् किसी भी परिस्थिति में वापिस नहीं किया जाएगा।
16. महाविद्यालय में छात्राओं की सुविधा हेतु 'कॉमन रूम' की सुविधा उपलब्ध है।

नोटः– छात्रावास में प्रवेश हेतु पृथक् से आवेदन पत्र भरना होगा जो कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है।

अनुशासन सम्बन्धी नियम

महाविद्यालय छात्राओं के अध्ययन को उत्तम और सरस बनाने तथा उनके सर्वांगीण विकास के लिये सतत प्रयत्नशील है। छात्राओं से अपेक्षित है कि वे उसके गौरव के अनुरूप आचरण करें और संस्था की वस्तुओं को सुरक्षित रखने एवं उसकी स्वच्छता और सुन्दरता के अभिवर्द्धन में सदैव सहयोगी रहें । महाविद्यालय के शैक्षणिक और प्रशासनिक कार्य के सुचारु संचालन के लिए यह परम आवश्यक है, कि छात्राएँ निम्नलिखित नियमों का पूर्णतः पालन करें। कुछ नियम विधिपरक हैं, जो छात्राओं को उनके कर्तव्यों का ज्ञान करवाते हैं एवं कुछ नियम निषेधात्मक हैं, जो यह संकेत देते हैं कि छात्राओं के कौन से कार्य संस्था के लिए अहितकर हैं। छात्राओं के लिए अनुशासन के नियमों का पालन आवश्यक है।

छात्राओं के लिए आवश्यक निर्देश–

1. छात्राएँ नियमित रूप से सूचना–पट्ट देखें क्योंकि इसके द्वारा ही समस्त सूचनायें छात्राओं को दी जाती हैं। सूचना–पट्ट पर अंकित किसी भी जानकारी से अनभिज्ञ रहने पर यदि छात्रा को कोई हानि होती है तो उसका दायित्व स्वयं छात्रा का होगा।
2. अपना परिचय पत्र सदैव अपने साथ रखें। यदि आपका परिचय पत्र खो गया है तो निर्धारित शुल्क देकर अविलम्ब नया बनवायें।
3. अपना अतिरिक्त समय पुस्तकालय में बिताएँ।
4. महाविद्यालय की स्वच्छता बनाये रखें।

5. कागज के टुकड़े, फलों के छिलके आदि निर्धारित स्थान पर उपलब्ध कचरा पात्र में ही डालिये।
6. समस्त प्राध्यापक तथा समस्त कर्मचारी वर्ग से शिष्टता पूर्वक व्यवहार कीजिए।
7. महाविद्यालय की किसी भी वस्तु को नष्ट मत कीजिए और न किसी को नष्ट करने दीजिए।
8. आवागमन के लिये लॉन के मध्य में बने फुटपाथों का उपयोग कीजिए। क्यारी फाँद कर पौधों को नुकसान पहुँचाने पर जुमार्ना (50 रू.) वसूल किया जाएगा।
9. महाविद्यालय में केवल मुख्य द्वार से प्रवेश कीजिए।
10. अपना वाहन छात्राओं के लिए निर्धारित वाहन स्थल पर ही खड़ा करें। इस नियम की अवहेलना पर छात्रा के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए जुर्माना भी वसूल किया जायेगा।
11. महाविद्यालय की सामने वाली सीढ़ियों के पास, बरामदों और पोर्च में झुण्ड बनाकर खड़े होना, बातें करना तथा बरामदों में इधर–उधर घूमना वर्जित है।
12. कालांश की समाप्ति से पूर्व अध्ययन कक्ष के बाहर एकत्रित होकर बातचीत न करें।
13. कार्यालय के पास भीड़ मत कीजिए और शोर भी मत कीजिए।
14. कक्षाओं के बाहर एवं इनकी खिड़कियों के पास बातचीत नहीं करें इससे अन्य कक्षाओं की पढ़ाई में व्यवधान पड़ता है।
15. शैक्षणिक शाखा से सम्पर्क के लिए केवल शाखा की खिड़कियों का ही उपयोग करें।
16. महाविद्यालय की इमारत को चिह्नित एवं गंदा मत कीजिए।
17. महाविद्यालय के मुख्य द्वार के बाहर खड़ी होकर किसी प्रकार का खान–पान नहीं करें।
18. माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के आदेशानुसार समस्त शिक्षण संस्थानों में रैगिंग करना एवं रैगिंग में सहयोग करना दण्डनीय अपराध है । अतः किसी भी छात्रा द्वारा अन्य छात्रा/छात्राओं के साथ किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार (रैंगिग) पूर्णतः वर्जित है। रैगिंग की सूचना तुरन्त

प्राचार्य/प्राध्यापक को दें। दोषी छात्रा के विरुद्ध नियमानुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

19. महाविद्यालय परिसर में मोबाइल फोन का प्रयोग बातचीत के लिए करना वर्जित है।
20. महाविद्यालय में प्लास्टिक की थैलियों का प्रयोग वर्जित है। छात्रा अपने साथ लायी गयी प्लास्टिक की थैली इत्यादि को महाविद्यालय परिसर में न छोड़ें अन्यथा उस पर रु. 50/– का जुमार्ना किया जाएगा।
21. अध्ययन कक्ष से बाहर आते समय लाईट पंखे बंद कर दें।
22. पीने के पानी का दुरुपयोग न करें और न ही नल खुला छोड़ें।
23. परिसर में लगे पौधों को नुकसान न पहुँचाएं, फूल न तोड़ें।

विशेष नोटः– उपर्युक्त समस्त अनुशासन सम्बन्धी बिन्दुओं का पालन प्रत्येक छात्रा द्वारा किया जाना आवश्यक है। इनमें से किसी का भी उल्लंघन करने पर दोषी छात्रा के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

.

सह–शैक्षणिक एवं शिक्षणेतर गतिविधियाँ

सह–शैक्षणिक गतिविधियाँ

महाविद्यालय में अध्ययन के साथ–साथ अन्य गतिविधियाँ एवं कार्यक्रम भी संचालित किये जाते हैं, जिनसे छात्राओं का सर्वांगीण विकास हो सके और वे राष्ट्र और समाज के उत्थान में सक्रिय भूमिका निभा सकें। इस दायित्व के निर्वहन के लिए महाविद्यालय में निम्नलिखित गतिविधियों का संचालन किया जाता हैः–

एन.सी.सी.

छात्राओं में अनुशासन, आत्मविश्वास एवं भावात्मक एकता का संचार करने हेतु महाविद्यालय में प्रारम्भ से ही उक्त प्रशिक्षण की व्यवस्था उपलब्ध है। सक्षम कमान अधिकारी के नेतृत्व में अनुभवी प्रशिक्षकों द्वारा प्रशिक्षण का दायित्व निर्वहन किया जाता है। इसमें कदमताल, शस्त्रास्त्र, निशानेबाजी, सिग्नल एवं मैडिकल आदि विषयों में प्रशिक्षण के साथ ही साथ समाज सेवा एवं नेतृत्व गुणों के विकास पर भी बल दिया जाता है।

इस त्रिवर्षीय प्रशिक्षण का विशेष आकर्षण राज्य, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित विभिन्न शिविरों एवं साहसिक अभियानों में भाग लेने के अवसरों की उपलब्धि है। इसमें भाग लेकर छात्राएँ जीवन के व्यावहारिक गुणों एवं परिस्थितियों का सामना करने की क्षमता और अद्‌भुत आत्मविश्वास प्राप्त करती हैं।

अनिवार्य योग्यताओं की पूर्ति करने वाली छात्राएँ निम्न प्रमाण–पत्र प्राप्त करने की अधिकारी होती हैंः–

1	(बी) प्रमाण–पत्र (परीक्षा द्वितीय वर्ष के अंत में)	प्रशिक्षण के प्रथम व द्वितीय सत्र में पृथकशः 75 प्रतिशत उपस्थिति एक शिविर (वार्षिक प्रशिक्षण शिविर) में भागीदारी।
2	(सी) प्रमाण–पत्र	प्रशिक्षण के कुल तीन वर्षों में पृथकशः

महाविद्यालय की ओर से सर्वश्रेष्ठ कैडेट को पुरस्कृत किया जाता है एवम् 7 राजस्थान गर्ल्स कोटा की ओर से चयनित कैडेट्स को छात्रवृत्ति दी जाती है। उपर्युक्त प्रमाण–पत्रों की

प्राप्ति एवं शिविरों में भागीदारी के आधार पर छात्राओं को नियमानुसार राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न शैक्षणिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश एवं विशिष्ट सेवाओं में लाभ देय होता है। सर्वश्रेष्ठ एनसीसी कैडेट को महाविद्यालय स्तर पर पुरस्कृत किया जाता है।

राष्ट्रीय सेवा योजना (एन.एस.एस.)

गांधी शताब्दी वर्ष (1969) में एन.एस.एस. का शुभारम्भ हुआ। यह राष्ट्रपिता को युवाओं में उनके अटूट विश्वास के प्रति हमारी श्रद्धांजलि स्वरूप है। इसने शैक्षणिक परिसरों को समाज से जोडऩे का कार्य किया है तथा सार्वजनिक हित की अनेक योजनाएँ क्रियान्वित की हैं। राष्ट्रीय सेवा योजना का प्रमुख उद्देश्य है कि छात्राएँ शिक्षा के साथ–साथ समाज सेवा के माध्यम से अपने व्यक्तित्व का विकास करें और राष्ट्रभक्त एवं योग्य नागरिक बनें। सामाजिक सरोकारों से जुड़ें और न केवल स्वयं के व्यक्तित्व का विकास करें अपितु राष्ट्रभक्त योग्य नागरिक बन समाज व देश के हित में अपनी महनीय भूमिका का निर्वहन करें।

कार्यक्रम को अभिनव बनाने के लिए राष्ट्रीय एकता, एड्स के प्रति जागरूकता, बस्ती गोद लेने की अनिवार्यता, साक्षरता, पर्यावरण संरक्षण, महिला विकास एवं उत्थान तथा बंजर भूमि विकास, राष्ट्र/प्रदेश के द्वारा संचालित विकास कार्यक्रमों की जानकारी देने आदि कार्यक्रमों को एकीकृत ढ़ंग़ से एन.एस.एस. के साथ जोड़ा गया है । एन.एस.एस. के साथ जुड़कर छात्राएँ ऐसे महत्त्वपूर्ण विषयों के बारे में जागरूक हो सकती हैं साथ ही समाज में एक सक्रिय भूमिका निभा सकती हैं।

एन.एस.एस. में छात्राओं को नियमित गतिविधियों के अंतर्गत दो वर्ष में 240 घंटे अपनी रुचि के क्षेत्र में कार्य करना होता है। नियमित गतिविधियों में छात्राओं के लिए विभिन्न विषयों पर पुनर्विन्यास, वाद–विवाद, आशुभाषण, प्रश्नोत्तरी, जागरूकता, आदि कार्यक्रम महाविद्यालय/बस्ती में आयोजित किये जाते हैं। उन्हें एक सात दिवसीय विशेष शिविर में भी भाग लेना अनिवार्य है। उत्कृष्ट कोटि का कार्य करने वाले स्वयं सेवकों को प्रत्येक वर्ष राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार एवं सम्मान प्रदान किया जाता है। महाविद्यालय स्तर पर भी सर्वश्रेष्ठ स्वयं सेवक को पुरस्कृत किया जाता है।

महाविद्यालय में राज्य सरकार द्वारा एन.एस.एस. की तीन इकाइयाँ स्वीकृत हैं, जिसमें प्रत्येक वर्ष 300 छात्राएँ पंजीकृत की जाती हैं। इस महाविद्यालय द्वारा बस्तियाँ भी गोद ली गई हैं।

एन.एस.एस. गतिविधियों में भाग लेने के लिए कोई पंजीकरण शुल्क देय नहीं है। इच्छुक छात्रा को एक आवेदन–पत्र भरना होगा। यह आवेदन पत्र महाविद्यालय के सम्बन्धित एन.एस.एस. इकाई प्रभारी से निःशुल्क प्राप्त किया जा सकता है। एन.एस.एस. में पूर्व पंजीकृत स्वयंसेवकों को भी द्वितीय वर्ष में पंजीकरण हेतु आवेदन पत्र भरना अनिवार्य है। इसके अभाव में उनका पंजीकरण निरस्त माना जायेगा। अन्य जानकारी हेतु समन्वयक प्रभारी से सम्पर्क किया जा सकता है। सर्वश्रेष्ठ एन.एस.एस. कार्यकर्ता छात्रा को महाविद्यालय स्तर पर पुरस्कृत किया जाता है।

मानवाधिकार क्लब

निदेशालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर के आदेशानुसार महाविद्यालय में अध्ययनरत छात्राओं के सम्पूर्ण विकास तथा शैक्षिक, भौतिक, सांस्कृतिक एवं रोजगार संबंधी अतिरिक्त ज्ञान उपलब्ध करवाने के लिए विभिन्न प्रकोष्ठों का गठन किया जाता है। अपने अधिकारों को निरन्तर जानने तथा सजग रखने हेतु मानवाधिकार–क्लब का महाविद्यालय में गठन किया गया है। छात्राएँ उपयुक्त जानकारी प्राप्त कर लाभान्वित हो सकती हैं।

महिला प्रकोष्ठ

बालिकाओं और महिलाओं में अपने अधिकारों, स्थिति एवं गरिमा के प्रति जागरूकता लाने के लिए समाज में नारी की भूमिका के विविध आयामों का अध्ययन करने हेतु यह केन्द्र विभिन्न गतिविधियाँ आयोजित करता है। समस्त छात्राएँ सदस्य होती हैं।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित मानदण्डों के अनुसार संचालित इस प्रकोष्ठ के उद्देश्य निम्न हैं:–

1. महिलाओं में आत्मविश्वास की वृद्धि।
2. संचालित गतिविधियों के माध्यम से नैतिक मूल्यों का विकास एवं उनके कानूनी व संवैधानिक पक्ष का ज्ञान।
3. अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता।

4. समाज में महिला शिक्षा के प्रति जागरूकता का विकास।
5. रोजगारोन्मुख वृत्ति विकसित करना।
6. महिला सुरक्षा के प्रति पूर्ण जानकारी प्रदान करना।

कौशल के लिए साहित्यिक गतिविधियाँ यथा काव्यपाठ, वाद–विवाद, आशु–भाषण, प्रश्नोत्तरी आदि का आयोजन किया जाता है साथ ही सम्बद्ध समिति श्रेष्ठ साहित्यिक एवं सांस्कृतिक प्रतिभा का चयन कर उन्हें पुरस्कृत भी करती है।

नोट :– निदेशालय, कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर द्वारा आदेशित महाविद्यालय में निम्न गतिविधियाँ सुचारू रूप से संचालित हो रही हैं:–

(1) एन.सी.सी., (2) एन.एस.एस., (3) रोवर/रेंजर (स्काउट), (4) महिला प्रकोष्ठ/मानवाधिकार क्लब सम्पूर्ण व्यक्तित्व के विकास हेतु, समाज में अपने महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व का निर्वहन करने हेतु इन गतिविधियों में से एक अपनी रूचि की गतिविधि लेना अनिवार्य है। इन गतिविधियों को आप 1 से 4 तक प्राथमिकता से अंकित करें।

एन.सी.सी./एन.एस.एस./रोवर रेंजर/महिला प्रकोष्ठ/ मानव अधिकार प्रकोष्ठ जैसी गतिविधियों में विद्यार्थियों को प्रवेश हेतु नियम एवं कलैण्डर

- प्रथम वर्ष में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों को प्रवेश आवेदन पत्र में स्पष्टतः यह अंकित कराना होगा कि सत्र के दौरान उपरोक्त गतिविधियों में से किन–किन गतिविधियों में भाग लेना चाहते हैं।
- प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण होते ही महाविद्यालयों में उपर्युक्त गतिविधियों को संचालित करने वाली समितियों द्वारा परामर्श (counselling) के माध्यम से विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाकर वर्षभर संचालित होने वाली गतिविधियों में शामिल किया जावे। गतिविधिवार विद्यार्थियों की सूची निदेशालय में संबंधित समन्वयक को निर्धारित अवधि में उपलब्ध करायी जावे।
- छात्र एक से अधिक गतिविधि में भाग लेने के लिए स्वतंत्र होंगे।
- परामर्श के समय संबंधित महाविद्यालय यह सुनिश्चित करें कि इन गतिविधियों के दिशा–निदेर्शों के अनुसार ही विद्यार्थी को विकल्प उपलब्ध करवाये जावे। प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों को कोई न कोई गतिविधि आवंटित करना अनिवार्य होगा।

- द्वितीय/तृतीय वर्ष, स्नातक एवं स्नातकोत्तर वर्षों में अध्ययनरत विद्यार्थी यथासंभव इन गतिविधियों में भाग लेंगे। जो विद्यार्थी पूर्व में ही इन गतिविधियों से जुड़े हुये हैं, उनकी निरन्तरता सुनिश्चित की जावेगी। इस संबंध में निदेशालय से समय–समय पर जारी होने वाले परिपत्रों को निदेशालय की वेबसाईट www.dce.rajasthan.gov.in पर जारी किया जाएगा, उनकी अनुपालना सुनिश्चित की जाएगी।

	गतिविधि का नाम	कार्यक्रम सारणी
1	एन.सी.सी.	एन.सी.सी. मुख्यालय द्वारा जारी निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार
2	एन.एस.एस.	एन.एस.एस. मुख्यालय द्वारा जारी निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार
3	रोवर–रेंजर	स्काउट एवं गाईड मुख्यालय द्वारा जारी निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार
4	महिला प्रकोष्ठ/मानव अधिकार प्रकोष्ठ आदि गतिविधियां	निदेशालय द्वारा जारी दिशा निर्देशानुसार

खेलकूद

महाविद्यालय में निम्न खेलों के मैदान एवं सुविधाएँ उपलब्ध हैं– बॉस्केटबाल, लॉन टेनिस, बैडमिन्टन, हैण्डबॉल, वॉलीबॉल, खो–खो, कबड्डी, डिस्कस एवं शॉर्टपुट इसके साथ महाविद्यालय में अत्याधुनिक जिम की भी सुविधा उपलब्ध है। मत्स्य विश्वविद्यालय के वार्षिक खेल कलैण्डर के अनुसार निर्धारित प्रतियोगिताओं में इस महाविद्यालय की छात्राएँ समस्त खेलों में भाग लेती हैं, जिसका खर्चा महाविद्यालय वहन करता है। छात्राओं का विश्वविद्यालय टीमों में चयन होता है तथा राष्ट्रीय स्तर तक भाग लेने वाली छात्राओं को महाविद्यालय व विश्वविद्यालय सुविधाएँ उपलब्ध करवाता है। विश्वविद्यालय टीम और राष्ट्रीय स्तर पर भाग लेने वाली खिलाड़ी छात्राओं का स्नातकोत्तर में प्रवेश निम्नतम वरीयता पर हो जाता है। सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को महाविद्यालय स्तर पर पुरस्कृत किया जाता है।

शिक्षणेतर गतिविधियाँ

छात्र परामर्श एवं प्लेसमेन्ट केन्द्र

छात्राओं को शैक्षिक, व्यावसायिक एवं वैयक्तिक परामर्श देने के उद्देश्य से परामर्श एवं प्लेसमेंट केन्द्र की स्थापना की गयी है। विद्यार्थी इस केन्द्र द्वारा प्रदत्त सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं।

छात्र–संघ

छात्राओं द्वारा अपने मध्य से छात्रा प्रतिनिधियों का निर्वाचन कर छात्र संघ कार्यकारिणी का गठन किया जाता है । इस रीति से छात्राओं की नेतृत्व प्रतिभा को सकारात्मक दिशा देने के साथ–साथ राष्ट्र के नागरिकों को भावी स्वस्थ राजनैतिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। यह कार्यकारिणी महाविद्यालय में समय–समय पर आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन में सहयोगी भूमिका का निर्वाह भी करती है। छात्र संघ चुनाव सम्बन्धी आदेश राज्य सरकार द्वारा अलग से जारी किये जाते हैं। यह प्रक्रिया प्रतिवर्ष सम्पन्न होती है।

पर्यावरण समिति

महाविद्यालय परिसर के सर्वांगीण विकास, सौन्दर्यीकरण एवं पर्यावरण की शुद्धता की दृष्टि से महाविद्यालय पर्यावरण समिति द्वारा वनमहोत्सव कार्यक्रम एवं वृक्षारोपण कार्यक्रम वन विभाग के सहयोग से वर्ष पर्यन्त आयोजित किए जाते हैं। मौसमी पौधों एवं छायादार घने वृक्षों को लगाने, गमलों, कच्ची फुलवारियों, लॉन और बगीचों को विकसित करने में महाविद्यालय स्टाफ एवं छात्राओं का सहर्ष सहयोग रहता है। छात्राएं प्रकृति की सुरम्य गोद में बैठकर अध्ययन करती हैं। साथ ही पर्यावरण सुरक्षा में अपनी महत्त्वपूर्ण भागीदारी भी निभाती हैं। सभी से अपेक्षा की जाती है कि वे इस पुनीत कार्य में पौध–रोपण व संरक्षण आदि के माध्यम से सहयोग करें। पुष्प व पेड़ नष्ट होने से बचाएँ।

संकाय परिषद्

तीनों संकायों की अलग–अलग परिषदें समय–समय पर छात्राओं के बौद्धिक विकास व उनकी प्रतिभा को उजागर करने हेतु विशेषज्ञों को आमंत्रित कर सेमिनार आयोजित करवाती हैं। साथ ही विविध प्रतियोगिताओं के माध्यम से छात्राओं की सृजनात्मकता के विकास हेतु अवसर भी प्रदान करती हैं। इसके अन्तर्गत कला संकाय एवं विज्ञान संकाय हेतु पृथक् पृथक्

परिषदों का गठन किया जाता है, जो छात्राओं के चहुँमुखी विकास हेतु विभिन्न गतिविधियों का आयोजन करती हैं।

महाविद्यालय पत्रिका

छात्राओं की मौलिक वैचारिक एवं लेखन प्रतिभा की अभिव्यक्ति हेतु संस्था द्वारा पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है। छात्राओं से आग्रह है कि वे अपनी रचनात्मक प्रतिभा के उन्नयन एवं प्रकाशन हेतु मौलिक रचनाएँ देकर अपनी कला को निखार प्रदान करें। पत्रिका में अधिकाधिक संख्या में रचनाएँ देकर अपनी प्रतिभा को उजागर करें।

सांस्कृतिक/साहित्यिक गतिविधियाँ

छात्राओं की सांस्कृतिक एवं साहित्यिक प्रतिभा को विकसित करने के उद्देश्य से महाविद्यालय द्वारा हर सत्र में सांस्कृतिक सप्ताह 'नूपुर' का आयोजन किया जाता है तथा साहित्यिक और सह शैक्षणिक समितियाँ समय–समय पर विभिन्न गतिविधियों का आयोजन करके सर्वश्रेष्ठ कलाकार एवं सर्वश्रेष्ठ प्रतिभा का चयन कर महाविद्यालय स्तर पर उन्हें पुरस्कृत भी करती हैं।

यौन उत्पीड़न रोकथाम समिति

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अपने निर्णय 'विशाखा' एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य में कार्य स्थल पर कामकाजी महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न जैसी जघन्य सामाजिक बुराई रोकने के लिए दिशा–निर्देश जारी किए गए थे। महिला महाविद्यालय होने के कारण यौन उत्पीड़न रोकथाम हेतु एक समिति का गठन किया गया है जो महिला अधिकारी, कर्मचारी एवं छात्राओं द्वारा यौन उत्पीड़न की शिकायत की जाँच करके उसका निस्तारण करती है एवं सुरक्षा प्रदान करती है। महाविद्यालय में एक शिकायत पेटी रखवाई गई है जिसमें महिलाएँ व छात्राएँ अपनी शिकायत लिखकर प्रेषित कर सकती हैं। विभिन्न सह–शैक्षणिक गतिविधियों के माध्यम से छात्राओं को सुरक्षा के प्रति जागरूक किया जाता है। सुरक्षा के उपायों पर अत्यन्त सूक्ष्मता के साथ ध्यान दिया जाता है जिससे वे निर्भीक आत्मविश्वास से परिपूर्ण जीवन व्यतीत कर सकें।

स्वास्थ्य समिति

छात्राओं को समय–समय पर स्वास्थ्य परीक्षण की सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है साथ ही समय–समय पर चिकित्सा विशेषज्ञों को आमंत्रित कर व्याख्यान द्वारा स्वास्थ्य चेतना लाने का प्रयास किया जाता है। चर्चा–परिचर्चा कर छात्राएँ लाभान्वित होती हैं।

रोड सेफ्टी क्लब

निदेशालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर के आदेशानुसार महाविद्यालय में सड़क सुरक्षा से संबंधित व्यावहारिक प्रशिक्षण देने हेतु रोड सेफ्टी क्लब की स्थापना की गई है। इस क्लब द्वारा आयोजित कार्यक्रमों द्वारा छात्राओं को सड़क सम्बन्धी नियमों से अवगत करवाया जाता है, जो निस्सन्देह छात्राओं के लिए लाभकारी है।

यू.जी.सी. एवं रूसा (राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान)

यू.जी.सी. द्वारा प्रदत्त अनुदान से महाविद्यालय में समस्त कला एवं विज्ञान प्रयोगशालाएँ तथा स्मार्ट कक्ष विकसित किए जा चुके हैं । समस्त स्नातकोत्तर विभाग एवं पुस्तकालय इन्टरनेट से जोड़े जा चुके हैं। महाविद्यालय में सभी विभागों के पास कम्प्यूटर सुविधा उपलब्ध करवाई जा चुकी है। पुस्तकालय में लगभग 55,000/– (पचपन हजार) पुस्तकें हैं। पुस्तकालय के ऑटोमेशन का कार्य पूर्ण हो चुका है साथ ही खेलकूद में बास्केट बॉल व टैनिस एवं बैडमिण्टन मैदानों का विकास रूसा मद से किया जा चुका है।

विद्यार्थियों के लिए देय छात्रवृत्ति एवं प्रोत्साहन योजना–

(1) देवनारायण स्कूटी–वितरण एवं प्रोत्साहन राशि योजना

राजस्थान सरकार ने देवनारायण स्कूटी वितरण 2012 के अन्तर्गत राजस्थान मूल की विशेष पिछड़ा वर्ग की छात्राओं के लिए स्कूटी वितरण का निर्णय 2011–12 में किया। गौरी देवी राजकीय महिला महाविद्यालय को स्कूटी वितरण हेतु जिला अलवर नोडल केन्द्र बनाया गया है। यह योजना छात्राओं के लिए उच्च शिक्षा में दूरी के कारण आ रही बाधा को दूर कर आगे शिक्षा प्राप्ति के लिए प्रोत्साहित करती है। साथ ही स्कूटी से वंचित छात्रा को प्रोत्साहन राशि दी जाती है। सर्वाधिक स्कूटी इस महाविद्यालय की छात्राओं को ही प्राप्त होती हैं।

(2) कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी एवं प्रोत्साहन राशि योजना

राजस्थान राज्य सरकार के द्वारा वर्तमान में नियमित छात्राओं के लिए 12वीं प्रतिशत के आधार पर काली बाई भील मेघावी छात्रा स्कूटी वितरण योजना के अन्तर्गत सामान्य वर्ग, ओ. बी.सी. अल्पसंख्यक, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग, आर्थिक पिछड़ा वर्ग की अलग–अलग स्कूटियाँ आयुक्तालय के माध्यम से स्वीकृत की जाती हैं। यह सभी वर्ग की छात्राओं को उच्च शिक्षा के प्रोत्साहन हेतु है।

उक्त दोनों योजना के फॉर्म आयुक्तालय की साइट पर ऑनलाइन भरे जाते है। छात्राएँ स्वयं इस फॉर्म को भरकर लाभ उठा सकती हैं।

(3) मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति योजना

माननीय मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान सरकार की योजना के अन्तर्गत वर्ष 2012 से उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए इस छात्रवृत्ति को प्रारम्भ किया गया है। इसके तहत योग्य पात्र को 500/– प्रतिमाह, अधिकतम 5000/– वार्षिक प्रदान किये जाते हैं। इससे भी छात्राओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में धनाभाव के कारण आ रही बाधा काफी हद तक दूर होती है। इसके फॉर्म भी आयुक्तालय की साइट पर ऑनलाइन भरे जाते हैं।

(4) आयुक्त, कॉलेज शिक्षा द्वारा प्रदत्त–छात्रवृत्तियाँ

(i) राष्ट्रीय छात्रवृत्ति

(ii) अध्यापकों के बच्चों को देय राष्ट्रीय छात्रवृत्ति

(iii) महिला योग्यता छात्रवृत्ति

(iv) स्वतन्त्रता सेनानियों के बच्चों को देय छात्रवृत्ति

(v) मृतक राज्य कर्मचारियों के बच्चों को देय छात्रवृत्ति

(vi) उर्दू छात्रवृत्ति

(vii) भारत–पाक एवं भारत–चीन युद्ध में वीरगति को प्राप्त एवं मृत सैनिकों के बच्चों/विधवाओं को देय छात्रवृत्ति

(viii) ललितकला छात्रवृत्ति

(ix) ललितकला हेतु छात्रवृत्ति

(x) राजस्थान के पूर्व सैनिकों की पुत्रियों को देय महिला छात्रवृत्ति

इन सभी छात्रवृत्तियों के लिए आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा की साइट पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म भरा जा सकता है। योग्यता तथा पात्रताएँ भी साइट पर उपलब्ध हैं।

(5) समाजकल्याण विभाग द्वारा देय छात्रवृत्तियाँ

(i) उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति

(ii) विकलांग के लिए देय छात्रवृत्ति

(iii) अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए देय छात्रवृत्ति

(iv) पालनहार योजनाः– जिन विद्यार्थियों के माता–पिता जीवित नहीं है उनके लिए देय छात्रवृत्ति

(v) श्रमिक कल्याण छात्रवृत्तिः– रजिस्टर्ड श्रमिकों की सन्तानों के लिए देय छात्रवृत्ति

(6) मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा देय छात्रवृत्ति

(i) इन्स्पायर्ड स्कॉलरशिप– विज्ञान वर्ग की छात्राओं के लिए

(ii) उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति– मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा सभी संकाय के विद्यार्थियों के लिए देय।

(iii) अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति– अल्पसंख्यक विभाग के माध्यम से देय

सभी छात्रवृत्तियों की जानकारी उन विभागों की एस.जे.सी. विभाग की ऑफिशियल साइट पर उपलब्ध है। पात्रता शर्ते एवं नियम राज्य सरकार के आदेशानुसार।

छात्र निधि शुल्क–तालिका

सत्र 2024–25

Student Fund Details PG		
Head	**General**	**Reserve**
Library	250	250
Student union Activity	140	140
Gen. Purpose	350	350
Games	200	150
Student Union Fee	100	100
Parking Fee	100	100
Girls' Association	20	20
University Fee	100	100
Total	**1260**	**1210**

M.A. (Previous) Fees Structure

Session-2024-25

Sr. No.	**Head**	**With Practical**		**WithOut Practical**	
		General	**Reserve**	**General**	**Reserve**
1	Registration Fee	1	1	1	1
2	Caution Money	15	15	15	15
3	Lab. Fee	200	200	-	-
4	Vikas Samiti	250	250	250	250
5	Student Fund	1260	1210	1260	1210
6	P.G, Seminar Fee	200	200	200	200
7	P.G. Association Fee	250	250	250	250
8	Total	2176	2126	1976	1926

B.SC. BIO PART-1

Sr.No.	Main Fee Head	Sub. Fee Heads	ITPG. Girls	SC Girls	ST Girls	OBC Girls	MBC Girls	PH Girls
1	Other Fees	MAHAVIDYLAY VIKAS SAMITI	250	250	250	250	250	0
2	Other Fees	COMPUTER EDUCATION FEE	200	200	200	200	200	0
3	Govt. Fees	ADMISSION FEE	0	0	0	0	0	0
4	Student Fund	STUDENT UNION ACTIVITY	140	140	140	140	140	0
5	Student Fund	GAME DEVELOPMENT FEE	200	150	150	150	150	0
6	Student Fund	ASSOCATION FEES	100	100	100	100	100	0
7	Student Fund	STUDENT UNION ELECTION FEE	100	100	100	100	100	0
8	Student Fund	COUNTION MONEY	15	15	15	15	15	0
9	Student Fund	COLLEGE DEVELOPMENT	0	0	0	0	0	0
10	Student Fund	REGISTRATION FEE	1	1	1	1	1	0
11	Student Fund	LIBRARY FEE	250	220	220	220	220	0
12	Student Fund	PARKING FEE	100	100	100	100	100	0
13	Student Fund	UNIVERSITY GAMES FEE	100	100	100	100	100	0
14	Student Fund	GENARAL PURPOSE	350	350	350	350	350	0
15	Student Fund	LAB FEE	200	200	200	200	200	200
		TOTAL	**2006**	**1926**	**1926**	**1926**	**1926**	**200**

B.SC. MATHS PART-1

Sr.No.	Main Fee Head	Sub. Fee Heads	ITPG. Girls	SC Girls	ST Girls	OBC Girls	MBC Girls	PH Girls
1	Other Fees	MAHAVIDYLAY VIKAS SAMITI	250	250	250	250	250	0
2	Other Fees	COMPUTER EDUCATION FEE	200	200	200	200	200	0
3	Govt. Fees	ADMISSION FEE	0	0	0	0	0	0
4	Student Fund	STUDENT UNION ACTIVITY	140	140	140	140	140	0
5	Student Fund	GAME DEVELOPMENT FEE	200	150	150	150	150	0
6	Student Fund	ASSOCATION FEES	100	100	100	100	100	0
7	Student Fund	STUDENT UNION ELECTION FEE	100	100	100	100	100	0
8	Student Fund	COUNTION MONEY	15	15	15	15	15	0
9	Student Fund	COLLEGE DEVELOPMENT	0	0	0	0	0	0
10	Student Fund	REGISTRATION FEE	1	1	1	1	1	0
11	Student Fund	LIBRARY FEE	250	220	220	220	220	0
12	Student Fund	PARKING FEE	100	100	100	100	100	0
13	Student Fund	UNIVERSITY GAMES FEE	100	100	100	100	100	0
14	Student Fund	GENARAL PURPOSE	350	350	350	350	350	0
15	Student Fund	LAB FEE	200	200	200	200	200	200
		TOTAL	**2006**	**1926**	**1926**	**1926**	**1926**	**200**

B.COM. PART-1

Sr.No.	Main Fee Head	Sub. Fee Heads	ITPG. Girls	SC Girls	ST Girls	OBC Girls	MBC Girls	PH Girls
1	Other Fees	MAHAVIDYLAY VIKAS SAMITI	250	250	250	250	250	0
2	Other Fees	COMPUTER EDUCATION FEE	200	200	200	200	200	0
3	Govt. Fees	ADMISSION FEE	0	0	0	0	0	0
4	Student Fund	STUDENT UNION ACTIVITY	140	140	140	140	140	0
5	Student Fund	GAME DEVELOPMENT FEE	200	150	150	150	150	0
6	Student Fund	ASSOCATION FEES	100	100	100	100	100	0
7	Student Fund	STUDENT UNION ELECTION FEE	100	100	100	100	100	0
8	Student Fund	COUNTION MONEY	15	15	15	15	15	0
9	Student Fund	COLLEGE DEVELOPMENT	0	0	0	0	0	0
10	Student Fund	REGISTRATION FEE	1	1	1	1	1	0
11	Student Fund	LIBRARY FEE	250	220	220	220	220	0
12	Student Fund	PARKING FEE	100	100	100	100	100	0
13	Student Fund	UNIVERSITY GAMES FEE	100	100	100	100	100	0
14	Student Fund	GENARAL PURPOSE	350	350	350	350	350	0
15	Student Fund	PLANNING FORAM	50	50	50	50	50	0
		TOTAL	**1856**	**1776**	**1926**	**1926**	**1926**	**0**

B.A. PART-1 & B.A. PART (HONS.) POL.SC.

Sr.No.	Main Fee Head	Sub. Fee Heads	ITPG. Girls	SC Girls	ST Girls	OBC Girls	MBC Girls	PH Girls
1	Other Fees	MAHAVIDYLAY VIKAS SAMITI	250	250	250	250	250	0
2	Other Fees	COMPUTER EDUCATION FEE	200	200	200	200	200	0
3	Govt. Fees	ADMISSION FEE	0	0	0	0	0	0
4	Student Fund	STUDENT UNION ACTIVITY	140	140	140	140	140	0
5	Student Fund	GAME DEVELOPMENT FEE	200	150	150	150	150	0
6	Student Fund	ASSOCATION FEES	100	100	100	100	100	0
7	Student Fund	STUDENT UNION ELECTION FEE	100	100	100	100	100	0
8	Student Fund	COUNTION MONEY	15	15	15	15	15	0
9	Student Fund	COLLEGE DEVELOPMENT	0	0	0	0	0	0
10	Student Fund	REGISTRATION FEE	1	1	1	1	1	0
11	Student Fund	LIBRARY FEE	250	220	220	220	220	0
12	Student Fund	PARKING FEE	100	100	100	100	100	0
13	Student Fund	UNIVERSITY GAMES FEE	100	100	100	100	100	0
14	Student Fund	GENARAL PURPOSE	350	350	350	350	350	0
		TOTAL	**1806**	**1776**	**1726**	**1726**	**1726**	**0**

नोट :

1. कला संकाय के प्रायोगिक विषयों– भूगोल, मनोविज्ञान, जी.पी.ई.एम., गृह विज्ञान, संगीत लेने वाली छात्राओं को प्रत्येक विषय के लिए 100 रु. प्रयोगशाला शुल्क ऑफलाइन जमा करवाना होगा।
2. अर्थशास्त्र व सैन्य विज्ञान विषयों के लिए प्रत्येक विषय के लिए 50रु. प्रायोगिक शुल्क ऑफलाइन जमा करवाना होगा।
3. अर्थशास्त्र लेने वाली छात्राओं को 50 रु. योजना मंच शुल्क ऑफलाईन जमा करवाना होगा।

S.N.	Name of Teaching Staff
	PRINCIPAL
1	DR. MANJU YADAV
	POLITICAL SCIENCE
1	DR. SHAFALI BARTHONIYA
2	DR. MADHUBALA SHARMA
3	DR. POORNIMA KAUSHIK
4	DR. PREM PRAKASH. VERMA
5	DR. VIJAY LAXMI
6	DR. AMITA MEENA
7	DR. PUSHPA INDORIA
8	DR. GOVIND NAINIWAL
	VACANT – 02
	HINDI
1	DR. SANGEETA GOGIYA
2	DR. BUDHMATI YADAV
3	DR. UMESH KUMAR RAI
4	DR. ASHOK KUMAR MEENA
5	DR. SEEMA MEENA
6	DR. VIKRAM SINGH
	VACANT 01
	ENGLISH
1	DR. SUNITA YADAV
2	DR. MANJU SHARMA
3	DR. VINITA GOYAL
	VACANT 01
	SANSKRIT
1	DR. LATA SHARMA
2	DR. DHANAJAY KUAMR SINGH
3	DR. VEERENDRA KUMAR JOSHI
4	DR. RAKESH KUMAR
5	DR. MADHUBALA MEENA
	ECONOMICS
1	DR. ANJU BALA GUPTA
2	Dr. RENU VYAS
	PHILOSOPHY
1	DR. MAHENDRA SINGH
	HISTORY
1	DR. BABU LAL KHTEEK
	DR. REKHA JORWAL
	SOCIOLOGY
1	DR. ARTI MODI
	VACANT 01
	GEOGRAPHY
1	DR. VIVEK GUPTA

S.N.	ASSOCIATE / ASST. PROF.
	PSYCHOLOGY
1	DR. SHAILENDRA SINGH
2	DR. ARPITA CHOUDHARY
3	MS. PRIYANKA SHARMA
4	DR. PINKY
	VACANT 02
	HOME. SC
1	SMT. ANITA
2	SMT. SHRUTI SINGH
	G.P.E.M.
1	DR. RITU GUPTA
2	DR. RASHMI GUPTA
	MUSIC
	VACANT- 02
	LIBRARY SCIENCE
	VACANT – 01
	BOTANY
1	DR. CHITRA SHEKHAWAT
2	DR. MANISHA SHARMA
3	DR. RAMNATH KHORWAL
	DR. GUNJAN GOYAL
	CHEMISTRY
1	DR. RACHANA ASOPA
2	DR. REENA YADAV
3	DR. K.K. SHARMA
4	DR. MADHU SHARMA
5	SMT. POOJA KUMAWAT
	PHYSICS
1	DR. HARSH MALHOTRA
2	MS. NIDHI KUMARI
	MATHS
1	Dr. MENU DEVI
	ZOOLOGY
1	SH. MADHUSUDAN VERMA
	VACANT- 03
	A.B.S.T.
1	DR. JAI PRAKASH GARG
	EAFM
1	SMT. VINITA KLYAN SAHAY MEENA
2	Smt. ANNU MEENA
	BUS.AD
	SMT. ADITI CHOUDHARY
	VACANT- 02

क्रं. सं.	कर्मचारियों का नाम	पद
1	श्री सुरेश चन्द	सहा.प्रशा.अधिकारी
2	शशि मीणा	वरिष्ठ सहायक
3	श्री रामरतन मीना	कनिष्ठ सहायक
4	श्री सुरेश गोपालिया	प्रयोगशाला सहायक
5	श्री बृजमोहन कर्दम	प्रयोगशाला सहायक
6	श्री सौरभ गुप्ता	प्रयोगशाला सहायक
7	श्री परशुराम बैरवा	प्रयोगशाला सहायक
8	श्री इनायत	प्रयोगशाला सहायक
9	सुश्री रवीना	प्रयोगशाला सहायक
10	सुश्री ममता सिंह	प्रयोगशाला सहायक
11	सुश्री मनीषा मीणा	प्रयोगशाला सहायक
12	श्री ईश्वरी प्रसाद	एनिमल कैचर
13	श्री अजीत सिंह	सहायक कर्मचारी
14	श्री सोहन लाल	सहायक कर्मचारी
15	श्रीमति कविता	सहायक कर्मचारी
16	श्री सुरेश कुमार यादव	सहायक कर्मचारी

नेक टीम द्वारा निरीक्षण

एन.सी.सी. की गतिविधियाँ

NCC

7 RAJ GIRLS BN NCC, KOTA
NATIONAL CADET CORPS

7 RAJ GIRLS BN NCC, KOTA

realme Shot on realme
2024 01 26 11:33

राष्ट्रीय सेवा योजना की गतिविधियाँ

हिंदी विभाग

राजनीति विज्ञान विभाग

अलवर. डॉ. अमिता मीना की पुस्तक का विमोचन करती प्राचार्य।

जीडी कॉलेज की सहआचार्य की पुस्तक का विमोचन

अलवर| गौरीदेवी कॉलेज के राजनीति विज्ञान विभाग की सह आचार्य डॉ. अमिता मीना की पुस्तक महिला सहभागिता एवं पंचायतीराज का विमोचन प्राचार्य डॉ. मंजू यादव ने किया। इस दौरान प्राचार्य ने कॉलेज के युवा संकाय सदस्यों को शोध गतिविधियों में सक्रिय रहने की प्रेरणा दी। राजनीति विज्ञान विभागाध्यक्ष डॉ. शैफाली बार्थोनिया ने डॉ. अमिता मीना को शुभकामना देते हुए शोध गतिविधियों को अनवरत रूप से करने की बात कही। कार्यक्रम में डॉ. सुनीता यादव, डॉ. मधुबाला शर्मा, डॉ. चित्रा शेखावत, डॉ. लता शर्मा व डॉ. रचना आसोपा सहित स्टाफ सदस्य मौजूद रहे।

संस्कृत विभाग

मनोविज्ञान विभाग

नूपुर कार्यक्रम

राजकीय महिला महाविद्यालय

कीय महिला महाविद्यालय
लवर (राज.)
प्रतियोगिताएं
23 –

राजकीय महिला महाविद्यालय
अलवर (राज.)
तिक प्रतियोगिताएं
2023 – 24

023 –